



राजस्थान सरकार

धर्मेन्द्र / 21/10/24

U/S 136

26/10/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

क्रमांक : राजस्व/2024/353

दिनांक : 21/10/24

—:आदेश:—

रा.प्र.फ.सं. :- 26/10/2024

2024/378

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खेड़ी सालवां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खेड़ी चारणा तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्बन्ध 2075 से 2078 में खाता संख्या 44 व 45 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	खेड़ी चारणा	44 व 45	धर्मराम पुत्र गोरखराम	धर्मेन्द्र पुत्र गोरखराम

(दूदाराम)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़शहर
दिनांक :- 21/10/24

क्रमांक :-सम/2024/354+356

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी खेड़ी सालवां को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी धर्मेन्द्र पुत्र गोरखराम निवासी खेड़ी चारणा तहसील पीपाड़ शहर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़शहर

Signature valid

Digitally signed by Dooda Rar
Designation: Sub Divisional C
Date: 2024.10.25 17:39:39 IS
Reason: Approved

रीडर शाखा